मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 57

प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		4900.00	4.63	4904.63	5450.00	4.60	5454.60	6000.00	4.68	6004.68
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**4900.00**	**4.63**	**4904.63**	**5450.00**	**4.60**	**5454.60**	**6000.00**	**4.68**	**6004.68**
1. सचिवालय -सामाजिक सेवाएं	2251	...	...	...	...	...	...	...	...	...
सामान्य शिक्षा										
प्राथमिक शिक्षा										
2. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	2202	8.00	...	8.00	2.00	...	2.00	8.00	...	8.00
	2251	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
	3601	192.70	...	192.70	142.70	...	142.70	192.70	...	192.70
	3602	6.00	...	6.00	5.00	...	5.00	6.00	...	6.00
	जोड़	*207.00*	*...*	*207.00*	*150.00*	*...*	*150.00*	*207.00*	*...*	*207.00*
3. राजस्थान में शिक्षाकर्मी परियोजना	2202	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	39.04	...	39.04
4. महिला समाख्या	2202	29.85	...	29.85	13.85	...	13.85	29.85	...	29.85
	2251	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
	जोड़	*30.00*	*...*	*30.00*	*14.00*	*...*	*14.00*	*30.00*	*...*	*30.00*
5. राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली	2202	4.00	2.40	6.40	2.36	2.47	4.83	4.72	2.53	7.25
6. लोक जुंबिश	2202	70.00	...	70.00	125.00	...	125.00	29.41	...	29.41
7. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (ईएपी)	2202	1198.00	...	1198.00	798.00	...	798.00	597.91	...	597.91
	2251	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.09	...	2.09
	जोड़	*1200.00*	*...*	*1200.00*	*800.00*	*...*	*800.00*	*600.00*	*...*	*600.00*
8. प्राथमिक शिक्षा (एमडीएम) को पोषाहार सहायता	2202	1175.00	...	1175.00	1375.00	...	1375.00	1675.00	...	1675.00
9. सर्व शिक्षा अभियान	2202	1929.58	...	1929.58	2710.65	...	2710.65	3035.15	...	3035.15
	2251	21.65	...	21.65	21.65	...	21.65	21.91	...	21.91
	3601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	*1951.25*	*...*	*1951.25*	*2732.32*	*...*	*2732.32*	*3057.08*	*...*	*3057.08*
10. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद										
11. प्राथमिक शिक्षा के लिए भारत सरकार-यू.एन. संयुक्त कार्यक्रम	2202	6.25	...	6.25	5.82	...	5.82	7.75	...	7.75
12. कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय										
	2202	5.00	...	5.00	1.50	...	1.50	...	...	...
	3601	7.50	...	7.50	0.90	...	0.90	95.00	...	95.00
	3602	1.00	...	1.00	0.10	...	0.10	5.00	...	5.00
	जोड़	*8.50*	*...*	*8.50*	*1.00*	*...*	*1.00*	*100.00*	*...*	*100.00*
जोड़ प्रांरभिक शिक्षा		**4667.00**	**2.40**	**4669.40**	**5217.00**	**2.47**	**5219.47**	**5750.00**	**2.53**	**5752.53**
प्रौढ़ शिक्षा										
13. प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता	2202	24.50	...	24.50	24.50	...	24.50	25.00	...	25.00
14. नवसाक्षरों के लिए सतत शिक्षा	2202	143.00	...	143.00	143.00	...	143.00	155.24	...	155.24
	3601	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	जोड़	*145.00*	*...*	*145.00*	*145.00*	*...*	*145.00*	*157.24*	*...*	*157.24*
15. साक्षरता अभियान और पुनः संचालन										
16. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	2202	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	26.00	...	26.00
17. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	2202	10.75	1.68	12.43	10.75	1.58	12.33	11.50	1.73	13.23
	2202	0.40	0.20	0.60	0.40	0.20	0.60	0.40	0.07	0.47
	2251	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60
	जोड़	*1.00*	*0.20*	*1.20*	*1.00*	*0.20*	*1.20*	*1.00*	*0.07*	*1.07*
18. श्रमिक विद्यापीठ (जन शिक्षण संस्थान)	2202	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	28.00	...	28.00
19. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	2202	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.01	...	0.01
20. प्रौढ़ शिक्षा में जन शिक्षा (ईएपी)	2202	1.25	...	1.25	1.25	...	1.25	1.25	...	1.25
21. अन्य कार्यक्रम	2202	...	0.35	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	0.35
जोड़-प्रौढ़ शिक्षा		**233.00**	**2.23**	**235.23**	**233.00**	**2.13**	**235.13**	**250.00**	**2.15**	**252.15**

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
22. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***4900.00***	***4.63***	***4904.63***	***5450.00***	***4.60***	***5454.60***	***6000.00***	***4.68***	***6004.68***
ग. आयोजना परिव्यय*-	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय योजना										
1. सामान्य शिक्षा	22202	4900.00	...	4900.00	5450.00	...	5450.00	6000.00	...	6000.00
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय योजना		**4900.00**	**...**	**4900.00**	**5450.00**	**...**	**5450.00**	**6000.00**	**...**	**6000.00**

2. **अध्यापक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना** : एक मजबूत आधारढांचा निर्मित करने, विद्यालयी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक शिक्षा की पुनर्संरचना और पुनर्गठन की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1987 से चालू है। इस योजना के निम्नलिखित पांच मुख्य घटक हैं :

(i) सभी जिलों में प्राथमिक अध्यापकों के लिए ज़िला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) की स्थापना;

(ii) चयनित माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थानों का अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों (सीटीई) और उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थानों (आईएएसई) के रूप में सुदृढ़ीकरण;

(iii) राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) को सुदृढ़ बनाना;

इस योजना के तहत अभी तक 498 डीआईईटी, 86 सीटीई और 38 आईएएसई की मंजूरी दी गई है और केन्द्रीय सहायता सिविल निर्माण कार्यों, उपस्करों की खरीद, स्टाफ के वेतन और भत्तों, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रमों आदि के लिए प्रदान की जाती है।

3. **राजस्थान में शिक्षा कर्मी परियोजना :** इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं पर मुख्य रूप से ध्यान देते हुए राजस्थान के दूरस्थ और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए गांवों में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और गुणवत्ता सुधार है। यह परियोजना प्रारम्भ में स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास निगम एजेंसी (सीडा) की सहायता से 1987 में शुरू की गई थी। परियोजना का तीसरा चरण यू.के. के अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) और राजस्थान सरकार (जीओआर) की सहायता से 1 जुलाई, 1999 से 30 जून, 2003 तक कार्यान्वित किया गया। तथापि, डीएफआईडी और जीओआर ने क्रमशः 75:25 के अनुपात संशोधित लागत से परियोजना की अवधि को 2 वर्षों के लिए अर्थात् 30.06.2005 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

4. **महिला समाख्या कार्यक्रम** : महिला समाख्या कार्यक्रम (महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा) 100 प्रतिशत डच सहायता से चलाई गई परियोजना है, जो 1989 में शुरू की गई थी। वर्ष 2003-04 से यह कार्यक्रम घरेलू वित्तपोषण से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस समय उत्तर-प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखण्ड, केरल और उत्तरांचल आदि नौ राज्यों के 56 ज़िलों में चलाया जा रहा है।

महिला समाख्या प्रारम्भिक स्तर पर महिलाओं की अधिकारिता का आधार तैयार करने में समर्थ रहा है।

5. राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली: राष्ट्रीय बाल भवन सोसायटी (भूतपूर्व बाल भवन सोसायटी, भारत) पंडित जवाहर लाल नेहरू की पहल पर वर्ष 1956 में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। यह इस विभाग का एक पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त संगठन है। राष्ट्रीय बाल भवन के उद्देश्य हैं बच्चों में सृजनकारी क्षमता बढ़ाना और बच्चों में एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति तथा चुनौती की भावना विकसित करना तथा परीक्षण करना, नवीनता लाना और निर्माण करना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति असंख्य कार्यक्रमों के जरिए की जाती है जिनमें विषयों का विशाल भंडार है जैसे कि विज्ञान, रचनात्मक कला, निष्पादन कला, फोटोग्राफी, खेल, प्रकाशन संबंधी कार्यकलाप आदि शामिल हैं।

6. **लोक जुम्बिशः** लोगों को एकजुटता और उनकी भागीदारी के जरिए सभी के लिए शिक्षा सुलभ कराने के लक्ष्य से स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (सीडा) की सहायता से वर्ष 1992 में राजस्थान में "लोक जुम्बिश" नामक एक नई परियोजना शुरू की गई थी।

इस समय, अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), यू.के. और राजस्थान सरकार से 3:2:1 के अनुपात में वहन की गई लागत में वित्तीय सहायता से जुलाई, 1999 से जून, 2004 तक परियोजना का तीसरा चरण कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना के मुख्य घटक हैं : चरण 1 और 2 के दौरान विद्यालय संगठनों का रखरखाव, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षा का न्यूनतम स्तर, नए विद्यालय खोलना, प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन, गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र आदि।

7. **जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम :** इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना में प्राथमिक शिक्षा विकास के एक विशुद्ध दृष्टिकोण को ग्रहण किया गया है और प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कार्यनीति के प्रचालन का प्रयास किया गया है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) के तहत लगभग 76,000 नए प्राथमिक विद्यालय और 84,000 वैकल्पिक विद्यालय खोले गए हैं। इसके अलावा, डीपीईपी के तहत 45900 विद्यालय भवनों, 46800 अतिरिक्त कक्षाओं, 15302 संसाधन केन्द्रों, 19000 मरम्मत कार्य, 46500 प्रसाधन कक्षों और 16700 पेयजल सुविधाओं का कार्य पूरा हो गया है।

8. **प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषणिक सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.-एन.एस.पी.ई.) :** प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषणिक सहायता देने का राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन स्कीम) 15 अगस्त, 1995 को शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के नामांकन, उपस्थिति में वृद्धि करने और अधिक से अधिक बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के साथ-साथ उनकी पोषण स्थिति को सुधारते हुए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम ईजीएस और एआईस्कीम के तहत शिक्षा केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों पर भी लागू किया गया है।

केन्द्र सरकार उन विद्यालयों में जहा पका हुआ भोजन दिया जाता है, प्रति स्कूल दिवस पर प्रति बालक 100 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। उन विद्यालयों में जहां अभी तक पके हुए भोजन का कार्यक्रम लागू नहीं किया गया है, वर्ष में दस माह के लिए प्रत्येक बच्चे को प्रतिमाह 3 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों के परिवहन की लागत भी वहन करती है। इस कार्यक्रम के तहत इस समय 5.69 करोड़ बच्चे मध्याहन भोजन प्राप्त कर रहे हैं।

9. **सर्व शिक्षा अभियान :** सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) योजना एक मिशन प्रणाली के रूप में वर्ष 2001-02 के दौरान शुरू की गई थी । एसएसए का लक्ष्य वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालयों अथवा वैकल्पिक विद्यालयों में दाखिला देना और वर्ष 2010 तक उन्हे आठ वर्ष की अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में विद्यालय रहित वास स्थानों में नए विद्यालय खोलना, अतिरिक्त

कक्षाओं, प्रावाधान-कक्षों, पेयजल, रखरखाव अनुदान, विद्यालय अनुदान आदि के प्रावधान के माध्यम से विद्यालय का अधारढांचा उपलब्ध कराना है। वर्ष 2001-02 से वर्ष 2003-04 के दौरान, एसएसए के तहत परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने 93028 विद्यालय खोलने, 457892 अध्यापकों की नियुक्ति 50992 विद्यालय भवनों के निर्माण, 109399 अतिरिक्त कक्षाओं, 106920 प्रसाधन कक्षा और 67803 पेयजल नलों की व्यवस्था करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

10. **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद :** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की स्थापना अगस्त, 1995 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। एनसीटीई अधिनियम में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का आयोजित और समन्वित विकास करने और देश में अध्यापक शिक्षा के मानदण्डों और मानकों के विनियमन और उचित रखरखाव का प्रावधान किया गया है। एनसीटीई पूरी तरह से केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

11. **जनशाला (भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र प्रणाली) कार्यक्रम :** जनशाला सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा (यूईई) प्राप्त करने की दिशा में जारी प्रयासों को कार्यक्रम समर्थन प्रदान करने के लिए भारत सरकार और पांच संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों जैसे कि यूएनडीपी, यूनीसेफ, यूनेस्को, यूएनएफपीए और आईएलओ का एक सामूहिक प्रयास है। जनशाला समुदाय आधारित कार्यक्रम का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को विशेष रूप से बालिकाओं और वंचित समुदाय, कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसांख्यक वर्ग के बच्चों, कामकाजी बच्चों और खास किस्म की जरुरतों वाले बच्चों के लिए और अधिक सुगम्य और कारगर बनाना है।

इस कार्यक्रम के तहत अब तक 1,500 (लगभग) वैकल्पिक विद्यालयों की स्थापना की गई है और 58000 अध्यापकों का भिन्न-भिन्न शैक्षणिक पहलुओं पर प्रशिक्षण देने का एक दौर पूरा हो चुका है। जनशाला कार्यक्रम द्वारा दिए गए योगदान को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) ने जनशाला को विश्व में सरकार और यूएन प्रणाली सहयोग की दो सर्वोत्तम प्रणालियों में से एक चुना है।

12. **कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय :** कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय (केजीएसवी) वित्त मंत्री द्वारा अपने 1997-98 के बजट भाषण में महिला निम्न साक्षरता जिलों में, अ. जाति, अ. जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों से संबंध रखने वाली बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालय खोलने के लिए की गई घोषणा का परिणाम है। इसे कार्यान्वित करने के लिए स्कीम और रुपात्मकता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा अनुसूचित जनजाति कार्य मंत्रालय की मंत्रणा से तैयार किए गए हैं। चरणबद्ध तरीके से 500-700 आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

13. **गैर-सरकारी संगठनों को सहायता :** गैर-सरकारी संगठनों को सहायता स्कीम के अधीन प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने गैर सरकारी संगठनों के साथ अपनी साझेदारी मजबूत करने के और साक्षरता कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी को बढ़ाने के लिए उपाय किये हैं। इस स्कीम के तहत 15 से 35 वर्ष की आयु के निरक्षर वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को 100 प्रतिशत वित्तपोषित किया जाता है। वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान यू.पी. और उड़ीसा के निम्न महिला साक्षर जिलों में महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी से विशेष कार्यक्रम चलाए गए थे।

14. **सतत शिक्षा :** यह योजना देश में साक्षरता कार्यक्रमों के प्रयासों को जारी रखती है। इसका मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय, वाचनालय, शिक्षा केन्द्र, खेल और सांस्कृतिक केन्द्रों तथा अन्य वैयक्तिक हित के संवर्द्धन कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करने के द्वारा नव साक्षरों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है।

15. **साक्षरता अभियान और प्रचालन जीर्णोद्धार :** सम्पूर्ण साक्षरता अभियान (टीएलसी) निरक्षरता के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की मुख्य कार्यनीति रही है। इसके निधीयन का तरीका एनएलएम और राज्य सरकारों के बीच 2:1 के अनुपात का है। जनजाति जिलों के लिए निधीयन का अनुपात 4:1 है। टीएलसी और पीएलसी के लिए प्रति प्रशिक्षु लागत क्रमशः 90-180 रुपए और 90-130 रुपए है। नई विचारधारा टीएलसी और पीएलसी के बीच एक निर्बाध लेन-देन को सुनिश्चित करने, निरन्तरता, निपुणता और समाभिरुपता के लिए आधारभूत साक्षरता के साथ साक्षरता पश्च गतिविधियों के एकीकरण की परिकल्पना करती है।

16. **प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय :** प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई) प्रौढ़ शिक्षा में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। निदेशालय की स्थापना देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाले विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी अभिकरणों को शैक्षिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई थी।

17. **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए)** - राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएनएमए) की स्थापना 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के एक स्वायत्त और स्वतंत्र स्कंध के रूप में की गई थी।

18. **जन शिक्षण संस्थान** - योजना का उद्देश्य इसके लाभानुभोगियों की व्यावसायिक कुशलताओं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के द्वारा बहुसंयोजक अथवा बहुपक्षीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध कराना है। यह स्कीम सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े तथा शैक्षणिक लाभ से वंचित शहरी/ग्रामीण जनसंख्या जैसे नव साक्षर, अर्ध साक्षर, अ.जा., अ.ज.जातियों की महिलाओं और बालिकाओं, स्लम में रहने वालों, प्रवासी श्रमिकों आदि पर ध्यान केन्द्रित करती है। कुछ अच्छे कार्य करने वाली जनशिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों का विस्तार पड़ोसी जिलों तक कर दिया गया है।